



कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी।

## प्रेस नोट

दिनांक-30.06.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर में पंजीकृत दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से संबंधित अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000/- रु० का अर्थदण्ड।

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु०अ०सं०-0362/2022 धारा 376-AB भा०द०वि० व 5m/6 पॉक्सो एक्ट, मु०नं०-149/2023 से सम्बन्धित अभियुक्त 1- नीरज विश्वकर्मा पुत्र पप्पू विश्वकर्मा निवासी- दौलतपुर, थाना लालपुर पाण्डेयपुर, जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-30.06.2025 को माननीय न्यायालय विशेष न्याया० (पॉक्सो अधिनियम) जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त नीरज विश्वकर्मा उपरोक्त को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) की धारा 6 के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 30,000/- रु० के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी